न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेशकुमार आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–2015/00012

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।
..... वादी

बनाम

राजेशकुमार पुत्र प्रेमकुमार जाति कुम्हार निवासी 2 एमजीडब्ल्युएम तहः खाजूवाला वगैरह
.....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

–:निर्णयः **दिनांकः– 31.05.2024**

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चक 2 एमजीडब्ल्युएम मु0नं0 100/26 के किला नं0 8, 9, 12, 19, 20 में 5.00 बीघा के खातेदार प्रेमकुमार पुत्र दूलाराम जाति कुम्हार निवासी 2 एमजीडब्ल्युएम खाजूवाला द्वारा अवैध जिप्सम का खनन करते पाया गया। इसलिए अवैध खनन करने के कारण खातेदार की खातेदारी निरस्त हेतु दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। दावे में रिपोर्ट, नक्शा, जमाबन्दी संलग्न है।

सर्वप्रथम वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये तहसीलदार खाजूवाला नोटिस तामिल करवाया गया। प्रतिवादी प्रेमकुमार फौत होने पर वारिस प्रतिवादी राजेशकुमार पुत्र प्रेमकुमार ने प्रार्थनापत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया जिसपर राजेशकुमार को प्रतिवादी को बनाया गया। प्रतिवादी राजेशकुमार द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। पत्रावली पर सुना गया। राज पैरोकार ने निवेदन किया कि प्रकरण में सीधा सीधा राजहित जुड़ा हुआ है एवं प्रतिवादी द्वारा कृषि भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग हुआ है एवं नियमों की अवहेलना की गई है इसलिए वादी का वाद स्वीकार फरमाया जावे।

तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/कोर्ट/2020/112 दिनांक 03.03.2020 में पटवारी ने लिखा है कि पूर्व में अवैध जिप्सम खनन (कृषि कार्य से गैर कृषि कार्य) होता था। वर्तमान में किला नं0 8, 9, 12 में सरसों तारमीरा की फसल काश्त कर रखी है एवं किला नं0 19, 20 खाली है।

उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला (जिला–बीकानेर)

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार पटवारी रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस पर मनन किया गया। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राज्यपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। राजपैरोकार ने वादपत्र प्रस्तुत करने के बाद राज्य पक्ष की अनमने ढ़ग से पैरवी की है। यह तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 03.03.2020 से प्रतीत होता है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है। पटवारी रिपोर्ट में लिखा है पूर्व में अवैध जिप्सम खनन हुआ था ' इसके मायने ये है कि जो पटवारी ने पूर्व रिपोर्ट में अवैध खनन की रिपोर्ट की है। उसको बिल्कुल निराधार नहीं माना जा सकता है। पत्रावली से पूर्णतया स्पष्ट है कि भूमि में जिप्सम है तथा जिप्सम माफिया आवंटी से शह से अथवा चौरीछुपे खनन कर रहे है। आवंटी का यह दायित्व है कि वह आवंटन शर्तों की पालना करते हुए कृषि कार्य करें, अवैध खनन न करें न ही करने दें। पत्रावली से स्पष्ट है कि आवंटी ने शर्तों की पालना नहीं की है। अपने दायित्व को पूर्ण नहीं किया है। उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का आवंटन एवं खातेदारी पर उपनिवेशन अधिनियम 1954 एवं उसके अधीन बनी शर्ते 1955 लागू है। काश्तकार द्वारा भूमिधारी की कमजोरी का लाभ उठाकर शर्तों की अवहेलना की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में भूमिधारी द्वारा एक मजबूत प्रकरण के रुप में प्रकरण दर्ज नहीं करवाया गया है हालांकि जमाबंदी नक्शा में जरुर अवैध खनन दर्शाया है। भूमिधारक सरकार कर्मचारी है उसकी उदासीनता का दण्ड समस्त समाज को नहीं दिया जा सकता। कानून के शासक में कानून तोड़ने की सुविधा मिलने पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। खाजूवाला क्षेत्र में खनिज जिप्सम का अवैध खनन की बड़े स्तर पर शिकायते लगातार आती रही है। इस वादपत्र अनुसार इस भूमि के किला नं0 8, 9, 12, 19, 20 पर अवैध खनन हुआ है, जिसके लिए काश्तकार को क्षमा नहीं किया जा सकता है ताकि अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलन्द ना हो और अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम हो सके।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177, उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत निर्मित शर्ते 1955 की शर्त संख्या 7, 20, 23 एवं उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11, 14 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 की शक्तियों के अनुसरण में प्रतिवादी खातेदार की खाते की भूमि चक 2 एमजीडब्ल्युएम मु0नं0 100/26 के किला नं0 8, 9, 12, 19, 20 की 05.00 बीघा कमाण्ड भूमि की खातेदारी खारिज की जाती है तथा रकबा राजकीय भूमि घोषित किया जाता है साथ ही खातेदार पर दो हजार रुपये की शास्ति कायम की जाती है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला के लिए पालनार्थ डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.05.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेशकुमार)
उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला (जिला-बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)